

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन /U.T. Administration of Daman and Diu
 राजभाषा विभाग, सचिवालय / Official Language Department, Secretariat,
 दमण / Daman-396 220


संख्या- रा.भा. 7(2)/ अनुवर्ती कार्रवाई /भाग-II/2006-11/147

दिनांक : 15 /07/2011

पढें- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त मद संख्या-9(vii)

जाँच बिन्दु / CHECK POINT

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त मद संख्या-9(vii) के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि- “दमण से प्रकाशित किये जाने वाले सरकारी राजपत्र में सभी अधिसूचनाएं एवं आदेश आदि द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाएंगे । इसके लिए सरकारी मुद्रणालय, दमण को जाँच बिन्दु बनाया जाता है, ताकि सरकारी मुद्रणालय के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर सभी अधिसूचनाएं एवं आदेश आदि द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किये जा रहे हैं ।”



(विजेन्द्र सिंह)

उप सचिव (राजभाषा)

सेवा में

1. उप निदेशक(योजना एवं सांख्यिकी), सरकारी मुद्रणालय, दमण को आवश्यक कार्रवाई के लिए सादर सूचनार्थ ।
2. सभी कार्यालयाध्यक्ष, दमण ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ ;

1. माननीय प्रशासक महोदय की स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण ।
2. विकास आयुक्त की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
3. वित्त सचिव की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
4. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण ।
5. प्रबन्ध निदेशक, ओ.आई.डी.सी. एवं सचिव(राजभाषा) की वैयक्तिक सहायक, दमण ।
6. पुलिस महा निरीक्षक की वैयक्तिक सहायक, पुलिस मुख्यालय, दमण ।
7. मुख्य वन संरक्षक की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दमण को इसे सरकारी वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
9. कार्यालय प्रति / गार्ड फाइल ।